ए-12022/1/2016-सीसी-एमओएसपीआई

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संगणक केन्द्र

पूर्वी खंड- 10, सैक्टर-1

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: 26-06-2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न पर रोक के लिए समिति का पुनर्गठन-

उपरोक्त विषय पर संगणक केन्द्र के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.03.2023 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए संगणक केन्द्र में शिकायत समिति के पुनर्गठन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतदद्वारा सूचित किया जाता है।

2. पुनर्गठित समिति का संघटन निम्नानुसार है:-

1.	सुश्री अंबिका आनन्द चटर्जी, निदेशक मो.: 9899564825 ईमेल: ambica.anand@nic.in	अध्यक्ष
2.	सुश्री रश्मी शर्मा, संयुक्त निदेशक मो.: 011-26163875 ईमेल: sharma.rashmi@nic.in	सदस्य
3.	श्री अमित कुमार, उपनिदेशक मो.: 9319150485 ईमेल: amit.k89@gov.in	सदस्य
4.	सुश्री इंदिरा सक्सेना मो.: 9650946159 ईमेल: indirasaxena@gmail.com	गैर-आधिकारिक सदस्य, महिला दक्षता समिति
5.	सुश्री हेमा रानी, एस एस ओ मो.: 9582944117 ईमेल: hema.rani25@nic.in	सदस्य
6.	सुश्री ज्योति, एस एस ओ मो.: 9971421064 ईमेल: jyoti.ncrb@gov.in	सदस्य सचिव एवं संयोजक

3. समिति संगणक केन्द्र की महिला कर्मचारी की केवल लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी। 'लैंगिक उत्पीड़न' मे ऐसे निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, जैसे:

क) शारीरिक संपर्क और उसका प्रयास करना
ख) यौनिक रिश्ते बनाने का प्रयास या उसकी मांग
ग) यौनिक शब्दों वाली टिप्पणी
घ) पोर्नोग्राफ दिखाना, या
ङ) अन्य कोई भी ऐसा शारीरिक, मौखिक या इशारे आदि से ऐसा अस्वीकार्य व्यवहार जो यौनिक प्रकृति का हो।

4. जहां आवश्यक हो, समिति शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखने सहित एक विशेष परामर्शदाता या अन्य सहायता सेवा प्रदान करेगी और महिला कर्मचरियों द्वारा की गई शिकायतों का समयबद्ध समाधान और निवारण सुनिश्चित करेगी।

5. इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 27.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-स्था(ए.III) द्वारा जारी उच्चतम न्यायलय के दिशा निर्देश समिति के सदस्यों के उपयोग के लिए संलग्न है।

6. डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 08.10.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/3/2009-स्था(ए) के अनुसार विशाखा केस में एपेक्स कोर्ट के निर्णयों की आवश्यकताओ के बारे में तैयारी की समीक्षा और उन्हे पूरा करने के लिए प्रत्येक तिमाही मे कम से कम एक बार बैठक करेगी भले ही कोई मामला न चल रहा हो। इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए समिति के संयोजक जिम्मेदार होंगे।

7. केन्द्र में महिला कर्मचारियों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायते समिति के संयोजक के माध्यम से जाएगी ताकि ऐसी शिकायतों एवं उनके निपटान का रेकॉर्ड रखा जा सके ।

अमित कुमार

अमित कुमार
कार्यालय प्रमुख एवं उप निदेशक
ईमेल : amit.k89@gov.in

सेवा में:

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. वेब यूनिट - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक (C&A),एमओएसपीआई, के एल भवन, नई दिल्ली-110001 के प्रधान निजी सचिव
2. अपर महानिदेशक, संगणक केन्द्र के प्रधान निजी सचिव
3. उपमहानिदेशक (RB)/, उपमहानिदेशक (AB) संगणक केन्द्र के निजी सचिव
4. उपसचिव (प्रशासन एवं सतर्कता), एमओएसपीआई, के एल भवन, नई दिल्ली-110001 के वैयक्तिक सहायक।